बिहार सरकार,
कृषि विभाग
संकल्प

भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति की दिनांक–01.07.2015 को आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्ग–दर्शिका की कंडिका–12 के अनुसार योजना के समन्वय अभिकरण के रूप में अन्तर–विभागीय कार्य समूह गठित करने का प्रावधान है। कार्य समूह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अभिकरणों/अनुसंधान/वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित कर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए सम्पूर्ण जल चक्र का एक व्यापक एवं समग्र नजरिया प्रस्तुत करेगा जिससे प्रत्येक बूंद का बेहतर संभावित उपयोग हो सके। राज्य सरकार के द्वारा अन्तर–विभागीय कार्य समूह (IDWG) गठित करने पर सहमति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार से प्राप्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मार्ग–दर्शिका की कंडिका–12 के आलोक में निम्नप्रकार अन्तर–विभागीय कार्य समूह (IDWG) का गठन किया जाता है:–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना – अध्यक्ष।
2. प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
3. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
4. प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
5. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
6. प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
7. प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
8. प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
9. प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण भिाग, बिहार, पटना – सदस्य।
10. प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
11. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
12. प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना – सदस्य।
13. कृषि निदेशक, बिहार, पटना – संयोजक।
14. उद्यान निदेशक, बिहार, पटना – सदस्य।
15. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना – सहसंयोजक।
16. निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना – सदस्य।
17. परियोजना निदेशक, बी०डब्ल्यू०डी०एस० – सदस्य।
18. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल प्राधिकरण (IWMP), बिहार – सदस्य।

3. अन्तर–विभागीय कार्य समूह निम्न कृत्यों के लिए जिम्मेवार होगाः–

1) राज्य के अन्दर योजना की गतिविधियों का नियमित रूप से समन्वय एवं प्रबंधन करना।
2) प्राप्त परियोजना प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करना कि प्रस्ताव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप है तथा राज्य सिंचाई योजना/जिला सिंचाई योजना से लिया गया है एवं परियोजना प्रस्ताव तकनीकी मानकों एवं वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप है।
3) परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना।
4) इसके अतिरिक्त कार्य समूह जाँच कर सुनिश्चित करेगा किः–

i. प्रस्तावित परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दायरे में लाने से पूर्व राज्य सरकार या /एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा चुका है/उपयोग करने की योजना है;
ii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परियोजनाओं/गतिविधियों एवं राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों की सहायता/आच्छादित क्षेत्र में कोई दोहराव (Duplication) या Overlapping नहीं हो;
iii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की निधि से मनरेगा जैसी योजनाओं के सामग्री घटक के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत की लागत से अधिक की सामग्री लागत को Top-up करने के मामले को छोड़कर, केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य चालू योजनाओं में अतिरिक्त या Top-up अनुदान के लिए प्रस्ताव नहीं दिया जाय;
iv. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का प्रावधान अन्तर्निहित है;
v. राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं के बीच सम्मिलन (Convergence) का प्रयास किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
01/3/16
(रामजी सिंह)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०मं०कृ०सिं०यो०को०–01/2015 1189 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र (असाधारण अंक) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/3/16
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1189 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\RKVY\SANKALP\Sankalp-2.docx

ज्ञापांक– 1189 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– श्री आर०बी० सिन्हा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1189 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1189 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– अन्तर–विभागीय कार्य समूह (IDWG) के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1189 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना